

दिल्ली विधान सभा सचिवालय  
=====

समाचार भाग -2

॥ विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी ॥  
शुक्रवार, 05 जनवरी, 2001 / पौष 15, 1922 ॥ सका

संख्या : 123

सदस्यों को नजरबन्दो एंव रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को पुलिस उपायुक्त, पश्चिम दिल्ली,  
का निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है :-

" मुझे आपको ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के  
माननीय सदस्य श्री मुकेश शर्मा, श्री सुभाष चौपड़ा व श्रीमती किरण  
चौधरी को 02.01.2001 को 1300 बजे दिल्ली पुलिस अधिनियम  
1978 की धारा-65 के अंतर्गत पुलिस के विधि सम्मत निर्देशों की अवज्ञा  
करने के कारण नजरबन्द किया गया ।

उन्हे वहीं से उसी दिन अर्थात् 02.01.2001 को 1335 बजे रिहा  
कर दिया गया ।

एस.के.शर्मा  
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT  
BULLETIN PART-II

(General information relating to Legislative & Other matters)  
Friday, 05th January, 2001/Poush 15, 1922(Saka)

No.123

DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS

The following message addressed to the Hon<sup>ble</sup> Speaker  
Delhi Vidhan Sabha, Delhi was received from Dy. Commissioner of  
Police, West Distt., Delhi.

" I have the honour to inform you that S/Shri Subhash Chopra,  
Mukesh Sharma and Smt. Kiran Choudhry, MLAs were detained u/s 65  
of Delhi Police Act. 1978 for disobeying the lawful directions of  
police at 1300 Hrs on 2.1.2001.

They were released at 1335 hrs from the same place on the same  
day i.e. 2.1.2001."

S.K.SHARMA  
SECRETARY